छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2012 (फाल्गुन 23, 1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री,विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 पटल पर रखेंगे.

3. दिसम्बर,2011 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

4. नियम 267- क के अधीन दिसम्बर, 2011 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

5. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

7. सभापति तालिका की घोषणा

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. शक्राजीत नायक, श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले में चोरी, डकैती की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन अंतर्गत बी.एस.यू.पी. योजना में व्याप्त अनियमितता की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9. वर्ष 2011-2012 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, वर्ष 2011-2012 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

रायपुर
दिनांक 12 मार्च,2012

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.